

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(3) राज/वाद/18,पार्ट

जयपुर दिनांक 18/08/2026

:: शुद्धि पत्र ::

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 08.08.26 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त विधि अधिकारियों (विद्वान महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अतिरिक्त मय अतिरिक्त महाधिवक्ता/गवर्नमेंट काउंसिल, एडिशनल/डिप्टी/एसिस्टेंट गवर्नमेंट काउंसिल्स तथा एडिशनल/डिप्टी/एसिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट्स) को देय रिटेनरशिप, एपीयरेंस फीस, ड्राफ्टिंग एण्ड सेटलिंग, विधिक राय एवं जूनियर अलाउंस की दरों में वृद्धि/संशोधन किया गया है।

उक्त आदेश दिनांक 08.08.26 में अंकित "Drafting and Settling Charges" के स्थान पर "Drafting and Settling Fees" पढ़ा जावे।

आज्ञा से,

हस्ताक्षर

(राघवेन्द्र काछवाल)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव/विशिष्ट सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर/नई दिल्ली।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. प्रशासक वादकरण, जयपुर/जोधपुर।
9. समस्त गवर्नमेंट काउन्सिल्स/गवर्नमेंट एडवोकेट्स, जयपुर/जोधपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग।
11. समस्त विभागाध्यक्ष एवं जिला कलक्टर, राजस्थान।
12. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ, सचिवालय, जयपुर।
13. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. कोषाधिकारी, जोधपुर।
15. आहरण एवं वितरण अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी-I, विधि (वादकरण) विभाग।
16. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

हस्ताक्षर

(प्रमोद कुमार मलिक)

शासन सचिव, विधि